न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 30/2017/अपील/आर्म्स/बूंदी
दायरा दिनांक 22.5.2017
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

गौरू लाल पुत्र रूपा जाति बंजारा निवासी बडफू थाना डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 6.8.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 69 दिनांक 13.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1088/ADM/City/89 जिला मजिस्ट्रेट कोटा से स्वीकृत है जो जिला मजि0 बूंदी के यहां 144/OUT/BND/14 पर दर्ज है को नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट ली गई जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने अपनी रिपोर्ट DSB/BUNDI/A –(10) ARM.RIN (R)/16/9769 दिनांक 31.12.2016 मे प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण सं0 117/08 धारा 323, 324, 341 आईपीसी मे दर्ज हुवा जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.4.2013 को 200 रूपये जुर्माने से दण्डित किये जाने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1088/ADM/City/89 जिला मजिस्ट्रेट कोटा जो जिला मजि0 बूंदी के यहा 144/OUT/BND/14 पर दर्ज है को आदेश संख्या 69 दिनांक 13.4.2017 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 7861–C/7 को अविलम्ब थाना डाबी मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के पेश की गई थी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। पुलिस अधीक्षक बूंदी कि रिपोर्ट में चाल चलन अच्छा होना तथा प्रकरण संख्या 117/08 में निर्णय दिनांक 30.04.2013 को 200/–रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाना वर्णित किया है। रिपोर्ट में शस्त्र के दुरूपयोग से संबंधी कोई आरोप नही है। प्रकरण का माननीय न्यायालय से दिनांक 30.4.13 को ही निर्णित हो चुका है ऐसी स्थिति मे नवीनीकरण की अनुशंसा नही करना अवैधानिक है। अपीलांट शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा है। अपीलान्ट को अपनी जान माल की रक्षा के शस्त्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी का आदेश दिनांक 13.04.2017 निरस्त किया जाकर नियमानुसार दिनांक 31.12.2016 से आगामी अवधि के लिये शस्त्र नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है क्योंकि पुलिस अधीक्षक बूंदी कि रिपोर्ट में चाल चलन अच्छा होना तथा प्रकरण संख्या 117/08 में निर्णय दिनांक 30.04.2013 को 200/–रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है सजायाब नही किया गया है। शस्त्र के दुरूपयोग से संबंधी कोई मामला नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध अदावतन झूठे प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करना उचित नही है क्योंकि अपीलांट वर्ष 1989 से शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर नियमानुसार आगामी अवधि के लिये लाईसेन्स नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे। अपने तर्क के समर्थन मे 2016 (4) डब्लू एल एन(राज0) पेज 425 ता 427 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को प्रकरण सं0 117/08 मे 200 रू0 के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके मध्यनजर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीनीकरण करने की अनुशंषा नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील आदेश से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अपील खारिज की जावे। xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रकरण विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2016 (4) डब्लू एल एन(राज0) पेज 425 ता 427 पर गोर कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 144/OUT/BND/14 दिनांक 31.12.2016 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा नवीनीकरण किया गया है। अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट DSB/BUNDI/A –(10) ARM.RIN

संभागीय आयुक्त

(R)/16/9769 दिनांक 31.12.2016 के अनुसार अपीलार्थी को प्रकरण सं0 117/08 धारा 323, 324, 341 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा 200 रू0 जुर्माने से दण्डित किये जाने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश दिनांक 13.4.2017 से अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वर्ष 1989 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता रहा है शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई मामला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित नही है तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 117/08 मे जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है सजायाब नही किया गया ऐसी स्थिति मे अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करना उचित नही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र अंतिम बार दि0 5.12.2014 को दिनांक 31.12.2016 तक की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 117/89 मे निर्णय दिनांक 30.4.2013 को अपीलार्थी को 200 रू0 जुर्माने से दण्डित किया है सजायाब नही किया गया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई मामला नही है तथा ना ही अन्य ऐसे कोई तथ्य/आधार अभिलेख पत्रावली मे मौजूद है जो शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण मे बाधक होना इंगित करते हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश संख्या 69 दिनांक 13.4.2017 से निरस्त करने मे त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा पारित आदेश सं0 69 दिनांक 13.4.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यो के आलोक मे अपीलार्थी के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पर नये सिरे से विचार कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

6 निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा